रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269326
CG-DL-E-13012026-269326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 165] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

का.आ. 175(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20क के उपखंड (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड–3, उपखंड (ii) तारीख 10 सितम्बर, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4105(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, **उत्तर प्रदेश** राज्य के **बाराबंकी** जिले में प्रस्तावित **''उत्तर रेलवे अकबरपुर–बाराबंकी रेल दोहरीकरण परियोजना (161 किमी.) के निर्माण''** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक जागरण" (हिन्दी) तथा ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' (अंग्रेजी), 13 सितम्बर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसके अन्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है।

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौप दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है। कि इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषण करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में प्रस्तावित अकबरपुर–बाराबंकी रेल दोहरीकरण परियोजना (161 किमी.) के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्रम सं0	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण / आंशिक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि के मालिक / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बाराबंकी	नवाबगंज	रमना	6	सम्पूर्ण	निजी	कृषि	0.0260	प्रेमनाथ यादव पुत्र तुलसीराम यादव नि. गुलरिया गार्दा शहर व पर0 व तह0 नवाबगंज, बाराबंकी, विनोद कुमार पुत्र नन्दा नि. नवाबगंज, विनोद कुमार पुत्र स्व. नन्दा नि. 287 कटरा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. तुलसीराम यादव नि. गुलरिया गार्दा शहर व पर0 व तह0 नवाबगंज, बाराबंकी
				योग				**0.0260**	

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण–द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

S.O. 175(E).— Whereas as by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Construction Organization), number S.O. 4105(E), dated the 10 September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10 September, 2025 and issued under Sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Railway Project, namely, **"Connection with doubling of Akbarpur-Barabanki (161 Km.) Project" in District-Barabanki** in the State of **Uttar Pradesh**.

Whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Dainik Jagran" (Hindi) and "Hindustan Times" (English), dated the 13 September, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, no objection have been received.

Whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed in connection with doubling of Akbarpur- Barabanki (161 Km.) Project in District-Barabanki in the State of Uttar Pradesh

Sl No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Affected Plot (Full/Part)	Type of Land	Nature of Land	Affected Area (Hectare)	Name of the Land Owner / Interested Persons
1	2	3	4	5	6	6	6	7	7
1	Barabanki	Nawabgaj	Ramna	6	Full	Private	Agriculture	0.0260	Premnath Yadav S/o Tulsiram Yadav R/o Gulariya Garda City Per. & Teh. Nawabganj, Barabanki, Vinod Kumar S/o Nanda R/o Nawabganj, Vinod Kumar S/o Late Nanda R/o 287 Katra Tehsil Nawabganj District Barabanki, Smt. Sushila Devi W/o Late Tulsiram Yadav R/o Gulariya Garda City Per. & Teh. Nawabganj, Barabanki
				Total				**0.0260**	

[F. No. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const.-II

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA